

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक :- 12-8-21

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 260

मुकदमा नंबर 81/2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. पुरखाराम पुत्र मोडाराम		1. दुर्गाराम पुत्र मोडाराम
2. जोराराम पुत्र मोडाराम		2. हनुमानराम पुत्र मोडाराम
3. रामाराम पुत्र महेन्द्रपालसिंह		3. गुमनाराम पुत्र आदाराम
4. रणछाराम पुत्र महेन्द्रपालसिंह		4. किरताराम पुत्र आदाराम
5. राजों पत्नी महेन्द्रपालसिंह		5. दीपाराम पुत्र आदाराम
6. पुष्पा पुत्री महेन्द्रपालसिंह		6. हुकमाराम पुत्र खेराजराम
7. श्रीराम पुत्र मोडाराम जातियान जाट निवासी भाण्डियावास पटवार हल्का कुडी, मू. अभिलेख निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		7. गोमाराम पुत्र जैसाराम जातियान जाट निवासीयान भाण्डियावास
		8. चौथी देवी पत्नी प्रेमाराम
		9. प्रेमाराम पुत्र सोनाराम जाट, निवासी भाण्डियावास ।
		10. नेनाराम पुत्र जालाराम जाति जाट निवासी अराबा चौहान
		11. भंवरलाल पुत्र डूंगराराम
		12. कोहली देवी पत्नी डूंगराराम
		13. हरजीराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासीयान भाण्डियावास तह0 पचपदरा
		14. मनीष कुमार पुत्र अमृतलाल
		15. पीयूष कुमार पुत्र अमृतलाल
		16. लीना पुत्र अमृतलाल
		17. नेहा पुत्री अमृतलाल
		18. कलावती पत्नी अमृतलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान भाण्डियावास
		19. मालाराम पुत्र शिवलाल
		20. पारसराम पुत्र शिवलाल
		21. पावूराम पुत्र शिवलाल
		22. हनुमानराम पुत्र शिवलाल
		23. परमेश्वरराम पुत्र शिवलाल जातियान भील निवासीयान भाण्डियावास तह0 पचपदरा
		24. प्रेमसिंह पुत्र छैलसिंह जाति राजपूत निवासी भाण्डियावास
		25. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा



आदेश

दिनांक :- 12.08.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा भाण्डियावास पटवार क्षेत्र कुडी तहसील पचपदरा में मूल खसरा 1057/453 रकबा 132 बीघा 08 विस्वा बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जा रहा है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी

उपस्थित अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

थिति में नेखबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
दिनांक :- 12-8-21

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 261- 265

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को पालना हेतु
3. पटवारी क्षेत्र कुडी तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थीगण पुरखाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
5. विप्रार्थीगण दुर्गाराम पुत्र मोडाराम जाट वगै० निवासी भाण्डियावास तहसील पचपदरा।



उपखण्ड अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा